भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1322

उत्तर देने की तारीख: 30.07.2024

नई स्वर्णिमा ऋण योजना

1322. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की त्रिपुरा में नई स्वर्णिमा ऋण योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत त्रिपुरा सहित राज्य-वार कुल कितने लाभार्थी हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के माध्यम से नई स्वर्णिमा ऋण स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम का ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ख): गत 03 वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य सहित सहायता प्रदान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1322 के भाग (क) के उत्तर का अनुबंध-क

''महिलाओं के लिए नई स्वर्णिमा स्कीम''

उद्देश्य:

सावधि ऋण के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्म-निर्भरता की भावना भरना।

पात्रता:

- इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा, समय-समय पर, यथा-अधिसूचित पिछड़े वर्गों की महिलाएं ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

मुख्य विशेषताएं:

- एनबीसीएफडीसी की ''नई स्वर्णिमा'' स्कीम का लक्षित समूह पिछड़े वर्ग की वे महिलाएं हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम है।
- लाभार्थी महिलाओं को 2,00,000/- रुपए तक की लागत की परियोजनाओं के लिए अपनी तरफ से किसी भी राशि का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।
- ऋण राशि पर ब्याज की दर निगम की सामान्य ऋण स्कीम की तुलना में कम है।

अधिकतम ऋण राशि : 2.00 लाख रुपए (प्रति लाभार्थी)

वित्तपोषण की पद्धति

1. एनबीसीएफडीसी ऋण : 95%
2. चैनल पार्टनर का योगदान : 05%

ब्याज की दर

1. एनबीसीएफडीसी से चैनल पार्टनर को : 2% प्रति वर्ष
2. चैनल पार्टनर से लाभार्थी को : 5% प्रति वर्ष

पुनर्भुगतान

ऋण का पुनर्भुगतान तिमाही किश्तों में अधिकतम 8 वर्षों की अवधि में किया जाता (जिसमें मूलधन की वसूली पर 6 महीने की ऋणाधिस्थगन अवधि शामिल है) है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1322 के भाग (ख) के उत्तर का अनुबंध-ख

गत 03 वर्षों के दौरान "नई स्वर्णिमा ऋण स्कीम" के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य सहित सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
		संख्या	संख्या	संख्या
I	राज्य			
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	गोवा	0	25	0
7	गुजरात	280	180	0
8	हरियाणा	100	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	50	250	7
10	झारखंड	0	0	0
11	कर्नाटक	0	0	0
12	केरल	5420	3940	87
13	मध्य प्रदेश	0	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	0
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0
20	पंजाब	1434	678	5
21	राजस्थान	0	0	32
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	1004
24	तेलंगाना	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	200	400	0
27	उत्तराखंड	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	उप कुल राज्य (1 से 28)	**7484**	**5473**	**1135**
II.	**संघ राज्य क्षेत्र**			
29	अंडमान और निकोबार	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	0	0	0
32	जम्मू और कश्मीर	275	100	11
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5	0	0
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	उप योग संघ राज्य क्षेत्र (29 से 36)	**280**	**100**	**11**
	सकल योग (I से II)	**7764**	**5573**	**1146**

*****